



2026:AHC:65062

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7320 वर्ष 2026

शरीफ

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अविनाश पांडे

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय सं. - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अविनाश पांडे को सुना, श्री उमा शंकर मिश्रा, राज्य-प्रतिवादियों के लिए ए.जी.ए. को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या_678 वर्ष 2025 आवेदक शरीफ की ओर से दायर किया गया है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है। उत्तर प्रदेश गोवध

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



निवारण अधिनियम की धारा 3/5ए/8 के तहत मुकदमा लंबित रहने के दौरान शामली जिले के शामली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि सह-आरोपी साहिल को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 2026 के आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 6552 में पारित दिनांक 16.3.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है और आवेदक का नाम गिरफ्तार सह-आरोपी राजेंद्र के इकबालिया बयान में सामने आया है और जिसके कब्जे से 30 किलोग्राम गाय का मांस बरामद किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का पांच मामलों का आपराधिक इतिहास है जिसे आवेदन के ज़ापन के साथ-साथ पूरक हलफनामे में भी समझाया गया है। आवेदक, जो 21.12.2025 से जेल में बंद है, ने वचन दिया है कि यदि वह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी संख्या के लंबित होने के मद्देनजर, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

5. इसके विपरीत विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक का पांच मामलों का आपराधिक इतिहास है।

6. सह-आरोपी साहिल को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 6552 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 16.3.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है और आवेदक का नाम गिरफ्तार सह-आरोपी राजेंद्र के इकबालिया बयान में सामने आया है और जिसके कब्जे से 30 किलोग्राम गाय का मांस बरामद किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जाता है कि आवेदक का पांच मामलों का आपराधिक इतिहास है जिसे आवेदन के ज़ापन के साथ-साथ पूरक हलफनामे में भी समझाया गया है। आवेदक 21.12.2025 से जेल में बंद है।

7. तथ्यों, प्रकृति और रिकॉर्ड से परिलक्षित साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने पर और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, वर्तमान जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

8. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदक-शरीफ को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए दो-दो जमानतदार के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए: -

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।

(iii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से, ट्रायल कोर्ट के समक्ष (i) मामले की सुनवाई, (ii) आरोप तय करने और (iii) बीएनएसएस की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह ट्रायल कोर्ट में मौजूद हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत को रद्द करने का आधार होगा।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। ट्रायल कोर्ट इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

मार्च 26, 2026

कुमार मनीष

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”